न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली, स्थित कैराना।

उपस्थितः इन्द्र प्रीत सिंह जोश, उच्चतर न्यायिक सेवा।

(J.O. Code– UP1894)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– **970/2025**

सुशील पुत्र धर्मवीर, निवासी मोहल्ला सुभाषनगर, कस्बा बनत, थाना आदर्श मण्डी शामली, जिला शामली। .....आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

राज्य ..... विपक्षी,

मु.अ.सं.– 70/2025,
धारा– 103(1), 3(5) बी.एन.एस.
थाना–आदर्श मण्डी शामली, जिला शामली।

एवं

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– **994/2025**

बबलू उर्फ अनिरूद्ध पुत्र कुलदीप सिंह, निवासी मोहल्ला आर्यपुरी, कस्बा बनत, थाना आदर्श मण्डी शामली, जिला शामली। .....आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

राज्य ..... विपक्षी,

मु.अ.सं.– 70/2025,
धारा– 103(1), 3(5) बी.एन.एस.
थाना–आदर्श मण्डी शामली, जिला शामली।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता– **श्री राजवीर सिंह व श्री अजय सहरावत,**
वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता**– श्री मुनेन्द्र सिंह व सत्येन्द्र कुमार सिंह**
राज्य की ओर से– **श्री संजय सिंह चौहान, जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक,**

दिनांक–15.07.2025

आवेदक/अभियुक्त **सुशील** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता नितिन चौधरी पुत्र अजय चौधरी द्वारा व आवेदक/अभियुक्त **बबलू उर्फ अनिरूद्ध** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता अविरूद्ध चौधरी पुत्र कुलदीप सिंह द्वारा इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किये गये हैं कि वे आवेदकगण/अभियुक्तगण के पैरोकार हैं तथा तथ्यों से परिचित हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो सत्र न्यायालय न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही मु०अ०सं० से संबंधित होने के कारण दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा भूपेन्द्र सिंह द्वारा थाना आदर्श मण्डी शामली में इस आशय की तहरीर दी गयी कि प्रार्थी ग्राम नंगली जमालपुर, थाना आदर्श मण्डी शामली का रहने वाला है। प्रार्थी अपने परिवार के साथ अपने घर पर था। दिनांक 26.04.2025 को समय करीब 09.50 पी.एम. पर रोला सुनकर मैं अपने घर से बाहर आया तो देखा कि मेरे भाई मनोज पुत्र रणधीर, निवासी नंगली जमालपुर पर उपेन्द्र मुखिया पुत्र सहदेव, निवासी मोहल्ला सुभाषनगर, कस्बा बनत, जिला शामली ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ धारदार हथियार से हमला किया। धारदार हथियार मेरे भाई मनोज की गर्दन पर लगा, जिससे मेरा भाई गम्भीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा और उपेन्द्र व उसके दो अज्ञात साथी मौके से भाग गए। मैं अपने भाई को लेकर अस्पताल आया, जहाँ पर डॉक्टर ने मेरे भाई को मृत घोषित कर दिया। मेरे भाई उपेन्द्र मुखिया व उसके दो

Inderpreet Singh Josh
Digitally signed by Inderpreet Singh Josh
Date: 2025.07.19 09:04:16 +01'00'

साथियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। वादी मुकदमा द्वारा घटना के संबंध में दी गयी सूचना के आधार पर थाना आदर्श मण्डी शामली पर अभियुक्त उपेन्द्र मुखिया व उसके दो अन्य अज्ञात साथियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 103(1) बी.एन.एस. में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को वाद उक्त में गांव की पाटीजी के कारण रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कथित घटना का कोई उद्देश्य नहीं दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकगण/अभियुक्तगण नामजद नहीं है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करती है। आवेदकगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण पूर्व सजायाफ्ता नहीं है, न ही किसी अन्य वाद में वांछित है। आवेदक/अभियुक्त सुशील दिनांक 28.04.2025 से तथा आवेदक/अभियुक्त बबलू उर्फ अनिरूद्ध दिनांक 02.05.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इसके अतिरिक्त आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें कथन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, वादी भूपेन्द्र, पत्नि ब्रिजेश, पुत्र शुभम के बयान में भी हत्या का कारण कारण अंकित नहीं है। घटनास्थल में परिवर्तन मौके से घून व फर्द बनाना पत्रावली पर अंकित नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फटा हुआ घाव अंकित है, उक्त चोट तेज धारदार हथियार से आना सम्भव नहीं है न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय पी.एम. रिपोर्ट से मेल खाता है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। यदि चश्मदीद गवाह ने घटना देखी होती तो अभियुक्त नामजद होते। कथित घटना रात में अज्ञात समय घटित होना सम्भव है, जिसका कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है, शव बरामद होने पर मुकदमा बनाया गया है। उपरोक्त आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने कथित कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का होना बताते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें कथन किया गया कि मृतक के शव पर उसकी दांयी गर्दन पर एक L.w 13 सेमी.x 9 सेमी X 11 सेमी. (Deep) पाया गया और उसकी मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व उसकी गर्दन पर आई चोट के कारण सदमा और अत्यधिक रक्तस्राव होना पाया गया और उसकी मृत्यु का सम्भावित समय उसके शव विच्छेदन से लगभग आधा दिन पूर्व होना पाया गया। मामले के विवेचक ने दिनांक 27.04.2025 को मुकदमा वादी का बयान लेना चाहा, परन्तु वादी बयान देने की स्थिति में न होने के कारण उस दिन बयान अंकित नहीं किया जा सका, दिनांक 28.04.2025 को सीडी. द्वितीय में वादी का बयान अंकित किया गया और वादी ने अपने बयान में घटना में दोनों अज्ञात व्यक्तियों के नाम सुशील व बबलू बताये और प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो अज्ञात लिखाने का कारण भी बताया। अभियुक्त उपेन्द्र की निशानदेही पर आलाकत्ल बलकटी लोहे की बरामद की गयी। मुकदमा वादी व मृतक की पत्नी श्रीमती ब्रिजेश व मृतक के लड़के शुभम के बयानों में कोई विरोधाभाष नहीं है और शोर सुनने के बाद इनकी घटनास्थल पर

उपस्थिति स्वाभाविक है। मृतक के लड़के शुभम ने अपनी मजीद बयान में अपने पूर्व बयान का समर्थन करते हुए अभियुक्त बबलू के हाथ में डण्डा होना बताया और विवेचक द्वारा अभियुक्त बबलू को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड में लेकर उसकी निशानदेही पर एक डण्डे की बरामदगी की गयी। साक्षीगण विनोद पंवार, भारत मलिक, रोहित व सतीश प्रधान ने अपने बयानों में बताया कि दिनांक 26.04.2025 को शाम को मनोज (मृतक), उपेन्द्र व सुशील उर्फ अजय तथा बबलू उर्फ अनिरूद्ध चारों उपेन्द्र की ट्यूबवैल पर खा –पी रहे थे, मनोज(मृतक) ने उपोन्द्र को हमारे गांव में ही जमीन खरीदवाई थी, जिसमें मनोज का कमीशन तय था, कमीशन के पैसों को लेकर मनोज(मृतक) व उपेन्द्र के बीच कहासुनी हुई, इसी बात को लेकर यह घटना कारित हुई। उक्त तथ्यों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मुख्य अभियुक्त उपेन्द्र पर वादी मुकदमा के भाई मनोज की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर हत्या करने तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण पर मुख्य अभियुक्त का सहयोग करने का आरोप है। मृतक की शव विच्छेदन आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें मृतक के शरीर पर एक चोट फटे हुए घाव की आना दर्शाया गया है, जो उसकी गर्दन पर दायीं तरफ 13 सेमी.x 9 सेमी X 11 सेमी. गहरा दर्शाया गया है। मृतक की मृत्यु का कारण Hemorrhagic shock as result ante-mortem Injury sustained over right neck region दर्शाया गया है। कथित घटना के संबंध में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है वह घटना के दो घण्टे बाद ही दर्ज करायी गयी है, उसमें आवेदकगण/अभियुक्तगण नामजद नहीं है, उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल मुख्य अभियुक्त उपेन्द्र व उसके दो अज्ञात साथियों के विरूद्ध दिनांक 27.04.2025 को दर्ज करायी गयी है। वादी मुकदमा द्वारा घटनास्थल पर शोर सुनकर घर से बाहर जाना एवं मुख्य अभियुक्त उपेन्द्र को अपने दो अज्ञात साथियों के साथ धारदार हथियार से मृतक मनोज की गर्दन पर हमला करना बताया गया है। दिनांक 27.04.2025 को मृतक मनोज का पंचनामा तैयार किया गया, उस दौरान वादी मुकदमा का पंचनामे की कार्यवाही में शामिल होना बताया गया है। दिनांक 28.04.2025 को मुख्य अभियुक्त उपेन्द्र गिरफ्तार किया गया, जिसके बयान के आधार पर आवेदकगण / अभियुक्तगण का नाम कथित घटना कारित किये जाने के संबंध में प्रकाश में आना बताया गया है।

दिनांक 01.05.2025 को कथित चक्षुदर्शी साक्षीगण मृतक की पत्नी ब्रिजेश व पुत्र शुभम के बयान संकलित किये गये, जिनके द्वारा कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण ने मृतक मनोज को फोन किया, मृतक के मना करने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण मृतक के घर आये तथा अपने साथ बुलाकर ले गये, उक्त बयान कथित घटना के लगभग पांच दिन बाद लेखबद्ध किया गया है। दिनांक 06.05.2025 को वादी मुकदमा, मृतक की पत्नी श्रीमती ब्रिजेश व पुत्र शुभम का मजीद बयान संकलित किया गया, जिसमें उक्त तीनों साक्षीगण ने नया साक्ष्य गढ़ते हुए आवेदक /अभियुक्त बबलू उर्फ अनिरूद्ध द्वारा एक हाथ से मृतक को पकड़ना तथा दूसरे हाथ में लिए डण्डे से मृतक को मारना बताया गया है, जबकि मृतक की शव विच्छेदन आख्या में उसके शरीर पर केवल एक चोट फटे हुए घाव की आना दर्शाया गया है, जिस कारण मृतक की मृत्यु होना बताया गया

है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मुख्य अभियुक्त उपेन्द्र द्वारा कथित घटना कारित किया जाना बताया गया है। घटना के अन्य स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा यह बताया गया है कि तीनों अभियुक्तगण मृतक के साथ उठते–बैठते थे एवं खाते –पीते थे।

दोनों अभियुक्तगण का नाम कथित घटना के दो दिन बाद प्रकाश में आया है और कथित घटना के पांच दिन के बाद मृतक की पत्नी श्रीमती ब्रिजेश द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को नामित किया गया है तथा दिनांक 06.05.025 को मृतक की पत्नी श्रीमती ब्रिजेश एवं पुत्र शुभम का मजीद बयान संकलित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त बबलू उर्फ अनिरूद्ध द्वारा एक हाथ से मृतक को पकड़ना तथा दूसरे हाथ में लिए डण्डे से मृतक को मारना बताया गया है,जबकि पोस्टमार्टम आख्यानुसार मृतक के शरीर पर ऐसी कोई चोट आना नहीं दर्शाया गया है। मृतक की मृत्यु एक ही आघात से होना दर्शित होता है। वादी मुकदमा द्वारा घटना को अपने घर से बाहर निकलकर देखना बताया गया है, जबकि अन्य कथित चक्षुदर्शी साक्षीगण मृतक की पत्नी एवं पुत्र द्वारा घटनास्थल पर मोटरसाईकिल से जाकर घटना देखना बताया गया है। कथित चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण की अलग–अलग तिथियों पर पृथक–पृथक भूमिका बतायी गयी है, जो कि इन आवेदकगण/अभियुक्तगण के संबंध में प्रथम दृष्टया संदेह उत्पन्न करती है। यह भी संदिग्ध प्रतीत होता है कि यदि वे साथ–साथ उठते–बैठते थे एवं साथ–साथ खाते–पीते थे, तो वादी मुकदमा को इन आवेदकगण/अभियुक्तगण की पहचान न होना संभव नहीं है और उनको वादी मुकदमा द्वारा नामित नहीं किया गया है। मामले में विवेचक द्वारा आरोप पत्र तैयार किया जाना एवं अन्य कोई साक्ष्य संकलित न किया जाना बताया गया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही उसकी पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य प्रकाश में आया है। आवेदक / अभियुक्त सुशील दिनांक 28.04.2025 से तथा आवेदक/अभियुक्त बबलू उर्फ अनिरूद्ध दिनांक 02.05.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए, गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, यह न्यायालय आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार पाता है। तदानुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **सुशील व बबलू उर्फ अनिरूद्ध** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक /अभियुक्त को प्रत्येक द्वारा रुपये 1,00,000/ (एक लाख रुपये) का व्यक्तिगत बंध–पत्र और इसी धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है:–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व द०प्र०सं० की धारा 313 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
2. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

इस आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 994/2025 की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक 15.07.2025

(इन्द्र प्रीत सिंह जोश)
सत्र न्यायाधीश,
शामली स्थित कैराना।